

# कार्यालय: वन प्रमण्डल पदाधिकारी, जमशेदपुर वन प्रमण्डल, जमशेदपुर।

(सी० एच० एरिया रोड नं० 1, जमशेदपुर-831001)

दूरभाष संख्या- 0657-2231017, फ़ैक्स-0657-2231017, ई-मेल- [dfo-jamshedpur@gov.in](mailto:dfo-jamshedpur@gov.in)



पत्रांक: 3252 / जमशेदपुर

दिनांक: 26/12/2023

प्रेषक,

वन प्रमण्डल पदाधिकारी,  
जमशेदपुर वन प्रमण्डल,  
जमशेदपुर।

सेवा में,

वन संरक्षक,  
प्रादेशिक अंचल,  
जमशेदपुर।

विषय:-

Proposal for diversion of 65.52 ha of forest land for expansion of Surda Copper Underground Mine project in favour of M/s Hindustan Copper Limited in Singhbhum District, Jharkhand State (Online No. 8-64/1933-FC Vol.) – regarding.

प्रसंग:-

1. भारत सरकार वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली का पत्रांक 8-64/1933-FC (Vol.) दिनांक 27.10.2023
2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक –सह– कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची का पत्रांक 1092 दिनांक 01.11.2023

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में सूचित करना है कि विषयगत परियोजना के विरुद्ध भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली का पत्रांक 8-64/1933-FC (Vol.) दिनांक 27.10.2023 के आलोक में पृच्छित 16 (सोलह) बिन्दुओं पर अनुपालन प्रतिवेदन निम्नवत् है :-

| विसंगतियाँ   | अनुपालन  |
|--|--|
| i. The Ministry vide its letter no. 8-64/1993-FC dated 15.05.1998 has granted Stage-II approval for renewal of Mosabeni mining lease over 189.74 ha of forest land in favour of M/s. Hindustan Copper Ltd. In this regard, the State Govt. shall submit the status of compliance of conditions stipulated in Stage-II approval dated 15.05.1998. | भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्रांक 8-64/1933-FC (Vol.) दिनांक 15.05.1998 द्वारा कतिपय शर्तों के साथ कुल 189.74 हे० वनभूमि अपयोजन की द्वितीय स्टेज की स्वीकृति प्रदान की गई थी। द्वितीय स्टेज की स्वीकृति के क्रम में निर्धारित शर्तों का अनुपालन प्रतिवेदन निम्नवत् है :-<br><b>Condition No. i</b><br>Legal status of forest land shall remain unchanged<br>अनुपालन :- शर्त के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि वनभूमि की वैधानिक स्थिति यथावत् है।<br><b>Condition No. ii</b><br>Reclamation of the mined area will be done at the project cost under the supervision of State Forest Department.<br>अनुपालन :- शर्त के अनुपालन हेतु प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि सुरदा खनन पट्टा क्षेत्र में सम्पूर्ण खनन कार्य भूमिगत पद्धति से किया जाता है। रिक्लेमेशन कार्य खनन प्रक्रिया का निरन्तर एवं अभिन्न हिस्सा है। बिना रिक्लेमेशन किये खनन कार्य नहीं किया जा सकता है। इस संबंध में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, सिंहभूम, जमशेदपुर का पत्रांक 301 दिनांक 11.02.2008 (छायाप्रति संलग्न अनु०- 1) संलग्न किया है। उक्त पत्र में यह स्पष्ट रूप में उल्लेखित है कि रिक्लेमेशन कार्य वन विभाग की देखरेख में कराने का औचित्य प्रतीत नहीं होता है, |

क्योंकि रिक्लेमेशन किए बिना आगे खनन कार्य किया ही नहीं जा सकता। इसी क्रम में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा पुनः प्रतिवेदित किया गया है कि भूमिगत खनन कार्य भारतीय खान ब्यूरो द्वारा अनुमोदित माईनिंग प्लान एवं खान सुरक्षा महानिदेशालय के दिशानिर्देशों के आलोक में किया जा रहा है।

**Condition No. iii**

Free fuel wood will be supplied to the staff and labourers working at the site at project cost.

अनुपालन :- शर्त के अनुपालन हेतु प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा परियोजना में कार्यरत कर्मचारियों एवं मजदूरों को रियायती दर पर बिजली एवं इंधन गैस उपलब्ध कराया गया है।

**Condition No. iv**

Penal compensatory afforestation over 94.98 ha. of degraded forest land shall be raised.

अनुपालन :- शर्त के अनुपालन हेतु प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा 94.98 हेक्टर क्षेत्र में दण्डात्मक क्षतिपूरक वनरोपण हेतु 1519680/- (पन्द्रह लाख उन्नीस हजार छः सौ अस्सी रूपया) मात्र विभाग के पक्ष में जमा किया गया है। (छायाप्रति संलग्न अनु०- 2)

**Condition No. v**

This permission under FC Act 1980 shall be for 20 years coterminous with lease under MMDR Act.

अनुपालन :- प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन अधिनियम 2015 के आलोक में सुरदा खनन पट्टा की लीज अवधि 31.03.2020 तक प्रदान की गई थी। पुनः दिनांक 06.01.2022 को झारखण्ड सरकार खनन एवं भूतत्व विभाग द्वारा लीज अवधि का विस्तार 20 वर्षों अर्थात् 01.04.2020 से 31.03.2040 तक किया गया है। (छायाप्रति संलग्न अनु०- 3)

**Condition No. vi**

Demarcation of diverted forest land will be done on the ground at the project cost using 4 ft. height concrete pillars having serial No. bearing and distance from pillar to pillar.

अनुपालन :- प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि अपयोजित होने वाली वन भूमि का सीमांकन 4' कंक्रीट पिलरों से किया गया है। इस संबंध में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा स्थापित किये गये पिलरों की विस्तृत विवरणी संलग्न कर समर्पित किया गया है। (छायाप्रति संलग्न अनु०- 4)

**Condition No. vii**

The user agency will bear the cost of fencing, protection and regeneration of safety zone area and also the cost of afforestation over one and a half times of safety zone area in degraded forest area elsewhere.

अनुपालन :- शर्त के अनुपालन हेतु प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा सुरक्षा पट्टी घेरान सुरक्षा पट्टी के पुर्नजनन तथा सुरक्षा पट्टी के डेढ़गुना अवकृष्ट वनों में वन रोपण कार्य हेतु कुल 468629/- (चार लाख अड़सठ हजार छः सौ उनतीस रूपया) मात्र विभाग को उपलब्ध कराया गया है, जिसे सूद सहित राशि 476862/- (चार लाख छिहत्तर हजार आठ सौ बासठ रूपया) मात्र कैम्पा खाता संख्या CA-1587 में स्थान्तरित कर दी गई है। (छायाप्रति संलग्न अनु०- 5)

**Condition No. viii**

Any other condition that the state government may impose from time to time in the interest of afforestation and protection of forests.

अनुपालन :- शर्त के अनुपालन हेतु वचनबद्धता समर्पित किया गया है। (छायाप्रति संलग्न अनु०- 6)

**Condition no. ix.**

Forest land shall not be used for any purpose other than that specified in the proposal.

अनुपालन :- प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि वनभूमि का उपयोग केवल प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट के लिये निम्नवत किया जा रहा है।

सतही के लिए- 31.07 हे०

भूमिगत के लिए- 52.44 हे०

सुरदा खनन पट्टा क्षेत्र में कुल अपयोजित वनभूमि- 83.51 हे०

|   |  |                      |                      |                                   |                     |                               |                        |
|---|--|----------------------|----------------------|-----------------------------------|---------------------|-------------------------------|------------------------|
| ii. The component wise breakup of proposed forest land has not been correctly mentioned in online Part-I and same needs submission.   | प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि 65.52 हे० वनभूमि अपयोजन का प्रस्ताव मात्र भूमिगत खनन से संबंधित है। इस संबंध में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचनबद्धता पत्र समर्पित किया गया है। (छायाप्रति संलग्न अनु०- 7)  |                      |                      |                                   |                     |                               |                        |
| iii. Against the detail of past proposals in the Online Part-1, the user agency has mentioned the details as Nill, whereas the present proposal is linked to a mining lease wherein approval for diversion of forest land has been accorded by the Ministry. The same needs correction. | <p>प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्रांक 8-64/93FC(I) दिनांक 11.04.1997 (छायाप्रति संलग्न अनु०- 8) द्वारा मुसाबनी खनन पट्टे हेतु 203.62 हे० वनभूमि अपयोजन के नवीकरण की सैद्धान्तिक सहमति प्रदान की गई थी। पुनः भारत सरकार के पत्रांक 8-64/93FC दिनांक 15.05.1998 (छायाप्रति संलग्न अनु०- 9) द्वारा मुसाबनी खनन पट्टा हेतु 47.49 सतही एवं 142.25 हे० भूमिगत कुल 189.74 हेक्टर वनभूमि अपयोजन की द्वितीय स्टेज के नवीकरण की स्वीकृति प्रदान की गई थी।</p> <p>यहाँ यह भी उल्लेख किया गया है कि सुरदा खनन पट्टे के विरुद्ध पर्यावरणीय स्वीकृति के आवेदन के आलोक में भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्रांक 8-64/1993FC(P) दिनांक 01.05.2017 (छायाप्रति संलग्न अनु०- 10) द्वारा की गई पृच्छा के क्रम में झारखण्ड सरकार, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, राँची का पत्रांक 5376 दिनांक 22.12.2017 (छायाप्रति संलग्न अनु०- 11) द्वारा मुसाबनी खनन क्षेत्र की विवरणी में यह स्पष्ट किया गया है कि सुरदा खनन पट्टा क्षेत्र में 31.07 हे० सतही एवं 52.44 हे० भूमिगत कुल 83.51 हे० वनभूमि सम्मिलित है। वन प्रमंडल पदाधिकारी, जमशेदपुर के पत्रांक 613 दिनांक 25.02.2020 (छायाप्रति संलग्न अनु०- 12) द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि सुरदा खनन पट्टा का कुल क्षेत्रफल 388.688 हे० है जिसमें से 149.03 हे० वनभूमि सम्मिलित है।</p> <p>इस प्रकार सुरदा खनन पट्टा क्षेत्र में अवस्थित 149.03 हे० वनभूमि में से 83.51 हे० वनभूमि पूर्व में ही अपयोजित किया गया है तथा अवशेष (149.03-83.51) = 65.52 हे० वनभूमि अपयोजन हेतु विचाराधीन है।</p> <p>उक्त के आलोक में ऑन लाईन आवेदन में पिछले प्रस्तावों की विवरण के तहत जानकारियां निम्नवत् संशोधित की जा सकती है। तत्संबंधी वचनबद्धता पत्र संलग्न है। (छायाप्रति संलग्न अनु०- 13)</p> |                      |                      |                                   |                     |                               |                        |
| List of proposal submitted in past  |  |                      |                      |                                   |                     |                               |                        |
| S. no   | Propo sal Status   | Proposal No.         | Moef File No.        | Area Proposed for Diversion (Ha.) | Area Diverted (Ha.) | Date of in Principle Approval | Date of Final Approval |
| 1   | Appro ved  | FP/JH/MI N/359/199 3 | F.No. 8- 64/19 93-FC | 203.62                            | 189.74              | 11.04.1997                    | 15.05.1998             |
| iv. The KML file for earlier diverted 189.74 ha of forest land along with KML file of Compensatory Afforestation land shall be furnished.   | <p>पृच्छा के आलोक में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि कम्पनी के पक्ष में धारित 6923.00 हे० में से पूर्व में 2430 हे० एवं 4104.32 हे० भूमि सरकार को वापस कर दी गई है जो कि अनुलग्नक- 14 में द्रष्टव्य है। वर्तमान में प्रयोक्ता अभिकरण के पास सुरदा खनन पट्टा के नाम पर 388.68 क्षेत्र रह गया है। जिसका नवीकरण किया गया है।</p> <p>प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा 94.98 हे० अवकृष्ट वनभूमि में दंडात्मक क्षतिपूरक वनरोपण हेतु 1519680/- (पन्द्रह लाख उन्नीस हत्तार छः सौ अस्सी रूपया) मात्र जमा किया गया है। (छायाप्रति संलग्न अनु०- 2)</p> <p>प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि 1990 के दशक में KML File की अवधारणा अस्तित्व में नहीं थी एवं वन संरक्षण अधिनियम के तहत अपयोजन प्रस्तावों में KML File जमा करने की आवश्यकता नहीं थी। अतः पहले से हस्तान्तरित 189.74 हे० वनभूमि का KML File उपलब्ध कराना संभव नहीं होगा।</p>  |                      |                      |                                   |                     |                               |                        |

v. As reported the proposed project is within an area of 388.68 ha, comprising of 149.03 ha of forest land. Out of 149.03 ha of forest land, already diverted forest land is 83.51 ha & a balance of 65.52 ha is under consideration for diversion. However, the Ministry vide letter no. 8-64/1993-FC dated 15.05.1998 has granted Stage-II approval for renewal of 189.74 ha of forest land. This needs clarification.

प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली का पत्रांक 8-64/93FC दिनांक 15.05.1998 (छायाप्रति संलग्न अनु०- 9) द्वारा मुसाबनी खनन परियोजना हेतु 47.49 हे० सतही एवं 142.25 कुल 189.74 हेक्टर वनभूमि अपयोजन के नवीकरण की द्वितीय स्टेज की स्वीकृति प्रदान की गई थी।

पुनः पर्यावरणीय स्वीकृति के आवेदन के क्रम में भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली का पत्रांक 8-64/1993FC दिनांक 01.05.2017 (छायाप्रति संलग्न अनु०- 10) के पृच्छा के आलोक में झारखण्ड सरकार, वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, राँची का पत्रांक 5376 दिनांक 22.12.2017 (छायाप्रति संलग्न अनु०- 11) द्वारा 189.74 हे० वन भूमि का उपयोगवार विवरणी समर्पित की गई है जिसमें सुरदा खनन पट्टा क्षेत्र सम्मिलित है जो निम्नवत् है :-

| क्र० सं० | खनन क्षेत्र का नाम | क्षेत्रफल |            | कुल वनभूमि हे० |
|----------|--------------------|-----------|------------|----------------|
|          |                    | सतही हे०  | भूमिगत हे० |                |
| 1.       | मुसाबनी            | 16.42     | 57.39      | 73.81          |
| 2.       | धोबनी              | —         | 30.08      | 30.08          |
| 3.       | पाथरगोड़ा          | —         | 2.34       | 2.34           |
| 4.       | सुरदा              | 31.07     | 52.44      | 83.51          |
| कुल      |                    | 47.49     | 142.25     | 189.74         |

अतः पूर्व में (वर्ष 1998) में अपयोजित वनभूमि (189.74 हे०) में से 83.51 हे० ही सुरदा लीज क्षेत्र का भाग है। चूँकि सुरदा लीज क्षेत्र का कुल रकवा 388.68 हे० है, जिसमें कुल 149.03 हे० वनभूमि है, अतएव यह प्रस्ताव अवशेष वनभूमि (149.03-83.51) अर्थात् 65.52 हे० के अपयोजन हेतु समर्पित किया गया है।

vi. From the information submitted by the state it is apparent that the Surda mine is a part of a bigger mining lease in the name of Mosabeni, wherein approval under FCA, 1980 has been accorded by the Ministry for renewal of permission for 189.74 ha of forest land vide letter dated 15.05.1998. Whereas, the present proposal has been submitted as an expansion of Surda mine only. A detailed justification in this regard shall be submitted along with a kml file for the entire Mosabeni mine.

प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि मुसाबनी लीज क्षेत्र जिसके अन्तर्गत मुसाबनी, धोबनी, पाथरगोड़ा एवं सुरदा खदान शामिल है, का पट्टा की स्वीकृति दिनांक 16.06.1939 से 15.06.1984 की अवधि के लिए कुल 6923 हे० क्षेत्र में प्रदान किया गया था। पुनः दिनांक 16.06.1984 से 15.06.2004 तक की अवधि के लिए मुसाबनी खनन पट्टा का नवीकरण किया गया।

प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मुसाबनी खनन पट्टा क्षेत्र अन्तर्गत अवस्थित 6923 हे० में से 2430 हे० खनन पट्टा क्षेत्र राज्य सरकार को वापस कर दिया गया जिसका अनुमोदन खान मंत्रालय के पत्रांक 4021/M दिनांक 05.08.1994 (छायाप्रति संलग्न अनु०- 14) द्वारा किया गया। पुनः 2001 में मुसाबनी खनन पट्टा का 4104.32 हे० पट्टा क्षेत्र जिसमें मुसाबनी, धोबनी एवं पाथरगोड़ा खनन क्षेत्र सम्मिलित था को वापस कर दिया गया जिसे राज्य गजट संख्या 3 दिनांक 22.06.2004 द्वारा प्रकाशित किया गया है। परिणामस्वरूप मुसाबनी खनन पट्टा क्षेत्र में (6923-2430+4104.32) = 388.68 हे० अवशेष क्षेत्र सुरदा खनन पट्टा के अन्तर्गत रह गया।

यहाँ यह उल्लेखनीय है कि सुरदा खनन पट्टा जो कि मुसाबनी खनन पट्टा का पूर्ववर्ती भाग है, में अवस्थित 388.68 हे० क्षेत्र का लीज दिनांक 16.06.2004 से 15.06.2014 की अवधि तक नवीकरण की स्वीकृति प्रदान किया गया था। पुनः MMDR संशोधित अधिनियम 2015 के आलोक में 31.03.2020 (छायाप्रति संलग्न अनु०- 15) तक पट्टा अवधि का विस्तार किया गया है इसके पश्चात् पुनः MMGC नियम 2015 के आलोक में 20 वर्षों तक अर्थात् दिनांक 01.04.2020 से 31.03.2040 (छायाप्रति संलग्न

अनु०- 3) तक खनन पट्टा अवधि का विस्तार किया गया वर्तमान में हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड के सुरदा खनन पट्टा क्षेत्र का कुल क्षेत्रफल 388.68 हे० है।

प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि KML File वनभूमि अपयोजन प्रस्ताव के साथ भाग 1 के एम 2 (VII) में पूर्व में संलग्न कर दिया गया है। CD में संलग्न है। (अनु०- 16)

vii. The State Govt shall ensure that the area details in the approved mining plan are commensurate with the proposal and a comparative analysis of the same shall be submitted.

भारतीय खान ब्यूरो द्वारा स्वीकृति खनन योजना अपयोजन प्रस्ताव की कंडिका संख्या M2(iii) तथा पार्ट- I के Additional Information details के तहत संलग्न की गई है। पुनः CD में संलग्न है। (अनु०- 16)

viii. The details of total lease area and total forest land involved in the entire lease area shall be intimated. Details of forest land wherein the approval for the diversion of forest land has already been obtained and the details of balance forest land, if any, shall also be intimated.

पृच्छा के अनुपालन हेतु प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निम्नवत् प्रतिवेदित किया गया है :-

सुरदा खनन पट्टा क्षेत्र का विवरण

| क्र० सं० | प्रकार                     | क्षेत्रफल हे० में | अभियुक्ति  |
|----------|----------------------------|-------------------|--|
| 1.       | विवर्तित वनभूमि            | 83.51             | भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली का पत्रांक 8-64/93FC दिनांक 15.05.1998 द्वारा वनभूमि अपयोजन की द्वितीय स्टेज की स्वीकृति प्रदान की गई। (छायाप्रति संलग्न अनु०- 9) |
| 2.       | अविवर्तित वनभूमि           | 65.52             |  |
| 3.       | कुल वनभूमि (1+2)           | 149.03            |  |
| 4.       | गैर वनभूमि                 | 239.65            |  |
| 5.       | खनन पट्टा का कुल क्षेत्रफल | 388.68            | खनन पट्टा का नवीकरण की अवधि 31.03.2040 तक विस्तारित की गई है।  |

ix. The State Government shall submit the details of the validity of the entire mining lease along with detailed chronology of approvals of the mining lease.

कंडिका (vi) खनन लीज स्वीकृति/नवीकरण के संबंध में स्थिति स्पष्ट की गई है।

x. The justification for not including the the 65.52 ha forest area in the earlier diversion proposal when the area was actually apart of the same mining lease shall be submitted.

प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि मुसाबनी खनन पट्टा अन्तर्गत पड़ने वाली वनभूमि अपयोजन का प्रस्ताव उनके द्वारा वर्ष 1995-96 में किया गया था। भारत सरकार द्वारा वर्ष 1997 में प्रथम स्टेज एवं वर्ष 1998 में वनभूमि अपयोजन की द्वितीय स्टेज की स्वीकृति प्रदान की गई थी। वनभूमि अपयोजन प्रस्ताव के तहत क्षेत्र को न्यूनतम रखा गया ताकि मंत्रालय द्वारा जारी तत्कालीन प्रावधानों और दिशा-निर्देशों के अनुसार कुशल खनन कार्य सुनिश्चित किया जा सके।

वर्तमान में बाजार की मांग एवं आपूर्ति के परिपेक्ष में एवं कम्पनी के विस्तार की योजना के हिस्से के रूप में उत्पादन वृद्धि की परिकल्पना की गई है। उक्त के आलोक में सुरदा खनन पट्टा क्षेत्र में अवस्थित अतिरिक्त अवशेष 65.52 हे० वनभूमि का अपयोजन आवश्यक हो गया है।

|   |  |
|---|--|
| <p>xi. The user agency in online Part-I has mentioned that 149.03 ha forest land is located within the Mine lease. However, as per the DSS analysis, of the KML file submitted the total 163.23 ha forest land is located within the Mine lease boundary. The same needs to be revisited by the state.</p>  | <p>प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि सुरदा खनन पट्टा में सम्मिलित वनभूमि का कुल क्षेत्रफल 149.03 हे० है। कार्यालय अभिलेखों से भी उक्त क्षेत्रफल संपुष्ट हो रहा है। वन सीमाओं के डीजीटाइजेशन इत्यादि के कारण DSS विश्लेषण में वनभूमि के क्षेत्रफल में विसंगति पाया जाना संभव है।</p>  |
| <p>xii. The user agency in online Part-I has mentioned that the Non-Forest land involved in the present proposal as Nil whereas superimposing the Mining lease boundary on the DSS portal revealed that the present proposal has the involvement of Non-Forest area. This needs clarification.</p>  | <p>प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि पूरे खनन पट्टा क्षेत्र में गैर वनभूमि भी शामिल है। वर्तमान अपयोजन प्रस्ताव 65.52 हे० क्षेत्र से संबंधित है जिसमें केवल वनभूमि सम्मिलित है। सुरदा खनन पट्टा का कुल क्षेत्रफल 388.68 हे० है जिसमें वनभूमि 149.03 हे० एवं गैर वनभूमि 239.65 हे० सम्मिलित है।<br/>विदित हो कि खनन पट्टा भूमिगत खनन के लिये है एवं सतह का क्षेत्रफल केवल 31.07 हे० जिसका वर्ष 1998 में द्वितीय स्टेज की स्वीकृति प्रदान की गई थी। सतही भूमि का उपयोग प्रयोक्त अभिकरण द्वारा किया जा रहा है।</p>  |
| <p>xiii. Satellite imagery shows the presence of settlements, Road and Agriculture fields within the proposed forest land for diversion. This needs clarification.</p>  | <p>प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि पूर्व में ही यह उल्लेखित है कि 65.52 हे० वनभूमि अपयोजन का प्रस्ताव भूमिगत खनन के लिये है जिसमें कोई सतही भागीदारी नहीं है। सेटेलाइट ईमेज में परिलक्षित सड़क एवं कृषि क्षेत्र का कारण संभवतः वन अधिकार अधिनियम के तहत निर्धारित प्रावधानों के अनुसार प्रस्तावित वनभूमि के उक्त खण्ड पर भूमि की सतह के कुछ टुकड़े वैध धारकों के कब्जे में हो सकते हैं।</p>  |
| <p>xiv. The CF, Jamshedpur in its site inspection report has reported that the area is part of Singhbhum Elephant Reserve and also Schedule-I species have been reported in the area. Therefore, the comments of CWLW, Jharkhand needs to be furnished. Further, comments may also be furnished on the adequacy of mitigation measures like Site Specific Wildlife Management Plan or Comprehensive Integrated Wildlife Management proposed for the area.</p> | <p>प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि सुरदा खनन पट्टा केन्दाडीह खनन पट्टा एवं राखा खनन पट्टा परियोजनाओं के लिये एकीकृत स्थल विशिष्ट वन्यप्राणी संरक्षण योजना को प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्यप्राणी एवं मुख्य वन्य प्राणी प्रतिपालक, झारखण्ड, राँची द्वारा उनके कार्यालय आदेश संख्या 14 दिनांक 24.01.2022 (छायाप्रति संलग्न अनु०- 17) द्वारा अनुमोदित किया गया है।<br/>यहाँ यह उल्लेखनिय है कि प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्यप्राणी एवं मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक, झारखण्ड, राँची का पत्रांक 646 दिनांक 23.05.2023 (छायाप्रति संलग्न अनु०- 18) द्वारा स्पष्ट किया गया है कि चूँकि वर्तमान वनभूमि अपयोजन प्रस्ताव जो खनन लीज सुरदा 388.68 हे० के अन्तर्गत ही है, अतः इसके विरुद्ध अलग से वन्य प्राणी संरक्षण योजना का सूत्रण आवश्यक प्रतीत नहीं हो रहा है।</p> |
| <p>xv. Cost benefit Ratio has been estimated as 1:9644.77 which is exorbitantly high. The analysis may be revisited by the user agency by applying appropriate economic tools to accurately estimate the various parameters and detailed analysis thereof may be submitted as per the format prescribed in the FCA, 1980 Handbook of guidelines dated 28.03.2019 keeping in view the revised rates of NPV dated 06.01.2022</p>                                | <p>पृच्छा के अनुपालन हेतु प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा 1:314.18 के अनुपात में गणना कर संशोधित लागत-लाभ विश्लेषण समर्पित किया गया है। (अनु०- 19)</p>   |

|   |   |
|---|---|
| xvi. Details of mineral evacuation plan, transportation and involvement of forest land, if any, shall be intimated. | प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि खनिजों की निकासी एवं परिवहन हेतु विस्तृत योजना अपयोजन प्रस्ताव की कंडिका संख्या एम-7.1(ii) पूर्व में संलग्न कर दिया गया है। पुनः CD में संलग्न (अनु०- 16) |
|---|---|

अतः अनुपालन प्रतिवेदन 7 (सात) प्रतियों में संलग्न कर भेजते हुये अनुरोध है कि प्रस्ताव के संबंध में अग्रेतर कार्रवाई करने की कृपा की जाय।

अनुलग्नक- यथोक्त।

आपका विश्वासी,

 26/12/2023

वन प्रमण्डल पदाधिकारी  
जमशेदपुर वन प्रमण्डल  
जमशेदपुर।